

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 525/2020

सरकार बनाम मोहित।

अं० धारा- 363, 323, 504, 506, 420, 376

भा०दं०सं० व 5L/6 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं०- 704/2021

थाना- हापुड़ नगर, जिला- हापुड़।

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

दिनांक:- 17.12.2021

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मोहित जेरे हिरासत उपस्थित आया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त मोहित के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 363, 323, 504, 506, 420, 376 व पोक्सो अधिनियम की धारा 5L/6 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 10.01.2022 को पेश हो।

दिनांक:- 17.12.2021

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

न्यायालय: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

सत्र वाद सं०- 525/2020

सरकार बनाम मोहित।

अं० धारा- 363, 323, 504, 506, 420, 376

भा०दं०सं० व 5L/6 पोक्सो अधिनियम

मु०अ०सं० 704/2021

थाना- हापुड़ नगर, जिला- हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्त मोहित को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूँ-

प्रथम- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस का अभिभावक की संरक्षता से व्यपहरण किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 363 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस के साथ स्वेच्छया से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 323 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस को अपमानित करने के आशय से गंदी-गंदी गालियां दीं। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उसके साथ धोखे से शादी कर की। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 420 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

षष्ठम- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस के साथ जबरदस्ती बलात्संग किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

सप्तम- यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 31.07.2021 के अनुसार आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता कु० एस के ऊपर बार-बार प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 5L/6 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक:- 17.12.2021

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूँ कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 17.12.2021

(श्वेता दीक्षित)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।